

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रामपुरिया व भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जडाणा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-75 में खाता संख्या 68 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
<u>13</u>	<u>जडाणा</u>	<u>68</u>	<u>राजू पि सुवालाल</u>	<u>राजू डफ़ राजेडुमार पि सुवालाल</u>

उपखण्ड अधिकारी,  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक: 9/12/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 13

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री

PP13/2021

2021/723

उपखण्ड अधिकारी,  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

